भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 4355

सोमवार, 22 मार्च, 2021/ 1 चैत्र, 1943 (शक)

विशेष वित्तीय पैकेज

4355. श्री रमेश चन्द्र माझी:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा और उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करने का अनुरोध किया है;
(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने के संबंध में राज्यों द्वारा किए गए अनुरोधों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को आंध्र प्रदेश, गोवा, मणिपुर तथा नगालैंड राज्य से विशेष वित्तीय पैकेजों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य ने राज्य के पिछड़े जिलों के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत 700 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है। गोवा राज्य सरकार ने पुर्तगाली शासन से आजादी का उत्सव मनाने के लिए 500 करोड़ रुपए के डायमंड जुबली ईयर पैकेज की मांग की है। मणिपुर राज्य सरकार ने 14,567 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। नगालैंड राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए 700 करोड़ रुपए के विशेष सहायता पैकेज की मांग की है।

(ग): स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के अनुरोधों की जांच करती है तथा कुल बजट सहायता के भीतर उपलब्ध संसाधनों के अध्यधीन राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में संसाधन अंतरित करती है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को जारी की गई निधि कुल बजट सहायता के भीतर केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के अध्यधीन नीति आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

****